उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या- 382/2025/2245/41-2-2025-सीएन-1867030
लखनऊ दिनांक: 08 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली, 2025

भाग एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति :

2. उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा में समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ :

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो; इस नियमावली में :-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ड.) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(च) 'महानिदेशक' का तात्पर्य महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश से है ;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है ;

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य राज्यपाल उत्तर प्रदेश से है ;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों केअधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा से है ;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो तथा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग :

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:-

क्रम सं0	**पद का नाम**	**पदो की संख्या**		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	निदेशक पर्यटन (आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 या 13 या 13A में)	-	1	1
2	निदेशक ईको टूरिज्म (आई0एफ0एस0 अधिकारी वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 या 13 या 13 A में)	-	1	1
3	अपर निदेशक पर्यटन	-	1	1
4	संयुक्त निदेशक पर्यटन	2	2	4
5	उप निदेशक पर्यटन	8	3	11
6	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/सहायक निदेशक पर्यटन	11	3	14
7	जिला पर्यटन अधिकारी	-	59	59
योग		**21**	**70**	**91**

परन्तु यह कि :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत :

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

	पदों के नाम	**भर्ती का स्रोत**
(1)	**निदेशक पर्यटन**(आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0 अधिकारी):	आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी से तैनाती द्वारा।
(2)	**निदेशक ईको**	भारतीय वन सेवा के अधिकारी से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	टूरिज्म(आई0एफ0एस0 अधिकारी)	तैनाती द्वारा।
(3)	**अपर निदेशक पर्यटन :**	मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(4)	**संयुक्त निदेशक पर्यटन :**	मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(5)	**उप निदेशक पर्यटन :**	मौलिक रूप से नियुक्त जिला पर्यटन अधिकारियों से पदोन्नत क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/सहायक निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(6)	**क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ सहायक निदेशक पर्यटन**	(एक) 90 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पर्यटन अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, पॉच वर्ष वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
		(दो) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रकाशन अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(7)	**जिला पर्यटन अधिकारी :**	(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
		(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अपर जिला पर्यटन अधिकारियों में से, जिन्होनें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, छ:वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण :

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अनुसार भी तथा भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार – अर्हता

राष्ट्रीयता :

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक हैं कि अभ्यर्थी ;

(क) भारत का नागरिक हो; या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के प्रत्येक अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षणिक अर्हता :

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यकहै:-

पद का नाम		**अर्हता**
(1) जिला पर्यटन अधिकारी :	(क)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान (Institute) से टूरिज्म/ट्रेवेल/आतिथ्य (Hospitality) में स्नातक/ एम.बी.ए./पी.जी.डिप्लोमा उपाधि।
	(ख)	हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने लिखने एवं वार्तालाप करने में पूर्ण प्रवीणता हो।
	(ग)	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसके पास पर्यटन में पी.एच.डी./डॉक्टरेट की उपाधि हो।
	(घ)	पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त टूर/ट्रेवेल/आतिथ्य (Hospitality) कम्पनी में 03 वर्ष का कार्यानुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

अधिमानी अर्हता :

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु :

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र :

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना आवश्यक है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

<u>टिप्पणी-</u> संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति :

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ;

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता :

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षण में सफल पाया जाय।

तथापि, पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के मामले में किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

<u>भाग पांच - भर्ती की प्रक्रिया</u>

रिक्तियों का अवधारण :

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसको दी जायेगी।

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया :

15.(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन मे प्रकाशित प्रपत्र में आयोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानक तक पहुंचे हों, साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह उचित समझे, नियुक्ति के लिए संस्तुति करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

टिप्पणी-प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम व नियमावली ऐसे होंगे जैसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर सरकार की सहमति से विहित की जाय।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

17.(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानक के आधार पर व समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

परन्तु जहाँ दो अथवा अधिक पोषक संवर्ग हों, वहाँ:-

(क) भिन्न वेतनमान वाले, उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमान वाले अभ्यर्थियों के नाम पत्रता सूची में उनके अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तारीख के क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे परन्तु एक ही संवर्ग में दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति की तारीख के क्रम में, ऐसी स्थिति में, जो अभ्यर्थी अधिक आयु का होगा उसे पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी जैसा कि उस संवर्ग में था, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाना है और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची :

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेंगें कि विहित प्रतिशत बना रहे. सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ:-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति :

19.(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों वहॉ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम-18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा :

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपभोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा में विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण :

21.(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, और

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार, स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन, यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता :

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन एवं भत्ते

वेतनमान :

23.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जौसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार है:-

क्र0	पद का नाम	वेतन/मैट्रिक्स लेवल
1	अपर निदेशक पर्यटन	लेवल-13 रू0 123100-215900
2	संयुक्त निदेशक पर्यटन	लेवल-12 रू0 78800-209200
3	उप निदेशक पर्यटन	लेवल-11 रू0 67700-208700
4	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी /सहायक निदेशक पर्यटन	लेवल-10रू0 56100-177500
5	जिला पर्यटन अधिकारी	लेवल-8 रू0 47600-151100

परिवीक्षा अवधि में वेतन :

24.(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहॉ विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों का परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन :

25. सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक हों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन :

26. ऐसे मामलों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों से शिथिलता :

27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन,जिन्हें वह उस मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति :

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।
पर्यटन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 382/2025/2245/41-2-2025-CN-1867030, Dated: 08 October, 2025

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

TOURISM SECTION-2

No. 382 (1)/2025/2245/41-2-2025-CN-1867030

Dated: 08 October, 2025 Lucknow

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the conditions of service of the persons appointed to the Uttar Pradesh Tourism Service:

THE UTTAR PRADESH TOURISM SERVICE RULES, 2025

PART-I- GENERAL

Short title and commencement:

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Tourism Service Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Status of Service:

2. The Uttar Pradesh Tourism Service is a service comprising Group 'A' and Group 'B' posts.

Definitions:

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means the Governor;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) 'Director General' means the Director General of Tourism, Uttar Pradesh;

(g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(i) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(j) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(k) 'service' means the Uttar Pradesh Tourism Service;

(l) 'substantive appointment' means an appointment not being an a ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(m) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year;

PART- Ⅱ - CADRE

Cadre of Service:

4. (1) The strength of the service, and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of service and each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub rule(1), be as given below:-

S. No.	Name of Post	Number of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1	Director Tourism (IAS/ PCS officer in pay matrix level 12 or 13 or 13 A)	-	1	1
2	Director Eco Tourism (IFS officer in pay matrix level 12 or 13 or 13 A)	-	1	1
3	Additional Director Tourism	-	1	1
4	Joint Director Tourism	2	2	4
5	Deputy Director Tourism	8	3	11
6	Regional Tourism Officer/Assistant Director Tourism	11	3	14
7	District Tourism Officer	-	59	59
	Total	21	70	91

Provided that :-

(i) the appointing authority may leave unfilled, or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART- III- RECRUITMENT

Source of Recruitment:

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

	Name of post	Source of Recruitment
(1)	**Director Tourism** (IAS/PCS officer) **:**	By posting from officer of IAS/PCS cadre.
(2)	**Director Eco Tourism** (IFS officer**) :**	By posting from officer of Indian Forest Service.
(3)	**Additional Director Tourism :**	By promotion though the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors who have completed four years of service as such on the first day of the year of recruitment.
(4)	**Joint Director Tourism :**	By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors who have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment.
(5)	**Deputy Director Tourism :**	By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Regional Tourism Officers/Assistant Directors promoted from District Tourism officer who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment.
(6)	**Regional Tourism Officer/Assistant Director :**	(i) Ninety percent by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed District Tourism Officers who have completed five year of service as such on the first day of the year of

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		recruitment.
		(ii) Ten percent by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Publication Officers who have completed twelve year of service as such on the first day of the year of recruitment.
(7)	**District Tourism Officer :**	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Additional District Tourism officers who have completed six years of service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation:

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the 'Act' and Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act,1993 and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Economically Weaker Section's) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV- QUALIFICATION

Nationality :

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) a citizen of India : or

(b) a Tibetan Refugee came over to India before Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India : or

(c) aperson of India origin who has migrated from Pakistan, Burma(Myanmar), Sri Lanka, or East African country such as Kenya, Uganda, or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a eligibility certificate granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that a candidate belongs to above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and retention of such a candidate is service beyond year of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship:

Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refuges may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favor.

Academic Qualification: **8.** A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess following qualifications:-

Name of Post		**Qualification**
(1) **District Tourism Officer:**	(a)	A Bachelor's degree/M.B.A./P.G. Diploma in tourism/travel/ Hospitality from a university/Institute established by law in India.
	(b)	Full proficiency in reading, writing and conversing in Hindi and English.
	(c)	Other things being equal preference will be given to candidates who have Ph.D./ Doctorate degree in Tourism.
	(d)	Candidate having 03 years work experience in a registered and recognized tour/travel/hospitality company will be given preference.

Preferential qualification: **9.** A candidate who has:.

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained the 'B' certificate of the National Cadet Corps (NCC), shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

Age: **10.** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall greater by such number of years or may be specified.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Character: **11.** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note: Persons dismissed by Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status: **12.** A male married candidate who has more than one wife or a female married candidate who has more than one husband shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness: **13.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be good mental and bodily healthy and free from any physical defect likely to interfere to the efficient performance his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required a pass an examination by a medical Board.

However, in the case of recruitment through promotion, a health certificate shall not be required.

PART-V- Recruitment Process

Determination of vacancies: **14.** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment: **15.** (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission by the Commission.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to such candidate of the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtain by each candidates at the written examination and interview and recommend such number of candidate as they consider fit for appointment. If two or more candidate obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Note: The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission with the concurrence of the Government from time to time.

Procedure for recruitment by promotion through the Commission:

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee:

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the service

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

commission Rules, 1992, as amended from time to time.

Note- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act 1994, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper:

Provided that where there are two or more feeding cadres:

Combined select list:

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment:

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18 as the case may be

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule, 18.

(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

also be issued, mentioning the name of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 18.

Probation:

20. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has other wise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation:

21. (1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if

(a) his integrity is certified, and
(b) his work and conduct is reported to be satisfactory.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority:

22. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII- PAY AND ALLOWANCES

Scales of pay:

23. (1) The scales of pay admissible persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:-

S. No.	Name of the Post	Pay/Matrix Level
1	Additional Director Tourism	Level -13 Rs. 123100-215900
2	Joint Director Tourism	Level -12 Rs. 78800-209200
3	Deputy Director Tourism	Level -11 Rs. 67700-208700
4	Regional Tourism Officer/Assistant Director Tourism	Level -10 Rs. 56100-177500
5	District Tourism Officer	Level -8 Rs. 47600-151,100

Pay during probation:

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

PART-VIII- OTHER PROVISIONS

Canvassing:

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters:

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service:

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings:

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।